



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

No.MKT-STs/0011/2018-19

Date: 13.1.2020

CIRCULAR

Sub: Submission of Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions of grants of Certificate of Registration as Exporters of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Import Return in (Form-B, B1&B2) to Spices Board on the quarterly basis on or before 10th day of the succeeding quarters.

Also, if there are no Exports/Purchase/ Imports then a 'Nil' returns to that effects should be submitted relevant quarters/period.

Now, It is brought to the notice of all Exporters to furnish all pending Quarterly Export Returns during (Form-B, B1&B2) for the year 2017-18, 2018-19 and 2019-20 (Apr-Dec) on or before 31st January 2020. In this regard, it is informed that the shortlisting of Exporters Award during 2017-18 & 2018-19 and renewal of CRES will be subject to furnishing of all pending Quarterly Export Returns.

E-mail id for submission: tis.so-ker@gov.in

Yours faithfully

Director (Mktg)

All Registered Exporters

Copy to : Regional offices for necessary action and follow up



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं. विपणन-सांख्यिकी/0011/2017-18

दिनांक : 13.1.2020

परिपत्र


विषय : त्रैमासिक निर्यात विवरणी की प्रस्तुति -बाबत

जैसेकि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का पंजीकरण) विनियम 1989 और अनुवर्ती सशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, मसालों के हर एक पंजीकृत निर्यातकर्ता को अगली तिमाही के पहले महीने के 10वें दिन को या उससे पहले तिमाही आधार पर मसाला बोर्ड को फॉर्म बी, फॉर्म बी(1) और फॉर्म बी(2) में निर्यात और आयात संबंधी विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई निर्यात/खरीद/आयात नहीं है तो संबंधित तिमाही/अवधि के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरण प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अब, सभी निर्यातकर्ताओं के ध्यान में यह लाया जाता है कि चाहिए। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (अप्रैल -दिसंबर) के लिए लंबित सभी तिमाही निर्यात विवरणी (फॉर्म बी, बी1 और बी231 जनवरी, 2020 को या उससे पहले अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान के निर्यातक पुरस्कार का लघुसूचीयन तथा लाइसेन्स का नवीकरण, मासिक विवरणी जमा करने के अधीन होगा।

प्रस्तुतीकरण के लिए ई-मेल: tis.sb-ker@gov.in


निदेशक(विपणन)

सेवा में,/To

सभी पंजीकृत निर्यातक

प्रतिलिपि : प्रादेशिक कार्यालयों को - आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए

सभी पंजीकृत मसाला निर्यातक